प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगराज सिंह भारी	प्रार्थी
2. श्री कमलेश कुमार	अप्रार्थी सं. 1 ता 6
3. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 22/12/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू—ए के खाता स. 36/32 के प.नं. 15/230 (4) किला नं. 18 ता 22, 23/1, प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 2, 3/1 की 1.468 हैक. अनकमांड खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 35/41 के प.नं. 15/230 (4) किला नं. 16, 17, 23/2, 24, 25, पं.नं. 15/231 (5) किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.466 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:38 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 47/51 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 8 ता 13 की 1.518 हैक. अनकमांड खातेदारी ब. हि. ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 12/14 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 16 ता 20 की 1.265 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू ए के खाता सं. 97182 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 21/2, 21/6, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2 की 0.6427 हैक. नहरी अनकमांड मय रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 44/81 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 21/4 की 0.0453 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है । प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी स्वंय के नाम व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि में चल रहे रास्ता प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि के प.नं. 15/340 (4) के किला नं. 21 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अपने स्वयं के नाम व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिव पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को डीएलसी दर की दौगुना राशि अप्रार्थीगण को पूर्व में दे दी है

यह कि अप्रार्थी सं. 6 ता 8 जो कि बैंक है उसके यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी सं. 9 जो कि भू धारक है जिनकी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होना है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी स्वंय के नाम व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के प. नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:38 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थी प्रथम पक्ष के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 36/32 के प.नं. 15/230 (4) किला नं. 18 ता 22, 23/1, प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 2, 3/1 की 1.468 हैक. अनकमांड खातेदारी व इसी चक के खाता सं. 35/41 के प.नं. 15/230 (4) किला नं. 16, 17, 2312, 24, 25, प.नं. 15/231 (5) किला नं. 3/2, 4, 5 की 1.466 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीवंगा

[illegible] रिकार्ड वाके है। यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 1, 2 के नाम कृषि भूमि तहसील [illegible] के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 47151 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. [illegible] ता 13 की 1.518 हैक. अनकमांड खातेदारी ब.हि. ब. दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 12/14 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 16 ता 20 की कुल 1.265 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 4 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू –ए के खाता सं. 97182 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 21/2, 21/6, 22/1, 2212, 23/1, 23/2 की 0.6427 हैक. नहरी अनकमांड मय रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के 37 एलएलडब्ल्यू–ए के खाता सं. 44/81 के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 21/4 की 0.0453 हैक. अनकमांड खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी प्रथम पक्ष के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी प्रथम पक्ष अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये प्रार्थी प्रथम पक्ष स्वंय के नाम व अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज कृषि भूमि में चल रहे रास्ता प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि के प.नं. 15/340 (4) के किला नं. 21 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी प्रथम पक्ष अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी प्रथम पक्ष के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी प्रथम पक्ष अपने स्वंय के नाम व अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा

रास्ता को स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी प्रथम पक्ष ने अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को डीएलसी दर की दौगुना राशि पूर्व में ही अदा कर दी है। अब प्रार्थी प्रथम पक्ष व अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष के नाम वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक 867 दिनांक 19.11.25 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण द्वारा [illegible] रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से [illegible] खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण [illegible] उस भूमि में पूर्व में रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मोके पर चालू नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आदेश

बहस अधिवक्ता उभ्य पक्ष सुनी बहस में अधिवक्ता उभ्य पक्ष ने राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। राजीनामा का गहन अध्ययन किया गया। चुंकि उभ्य पक्ष के मध्य रास्ता हेतु सहमति हो गई है जिसके संबंध में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकि है प्रार्थना पत्र इस लिए लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है तहसील पीलीबंगा के चक 37 एलएलडब्ल्यू–ए के प.नं. 15/231 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. व किला नं. 21/4 में 0.021 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत किया जाता है। रास्ता बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है क्योंकि अप्रार्थीगण ने मुताबिक राजीनामा रास्ते की एवज में डीएलसी की दूगना राशि प्रतिकर के रूप में पूर्व में प्राप्त कर ली है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 22/12/25 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी
उपपंजीयन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.19 17:33:38 IST
Reason: SelfAttested